आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 13-MGB-04-09/26/11(13) B दिनांक - 15-Oct-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100100149010648 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 001 - निदेशन और प्रशासन 49 - मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलाॅजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क 01-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क पैथोलोजिकल, डाईनोस्टिक एवं रेडियोलाॅजिकल टेस्ट स्कीम और मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एण्ड सरवाईकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट स्कीम State Scheme	76156	DHNMED072 DR. ALOK BISHWAKARMA C.S. CUM C.M.O.DHANBAD 48 - अंशदान	20,000,000.00 रुपये दो करोड

State Scheme : MUKHYA MANTRI GAMBHIR BIMARI UPCHAR YOJANA, MUKHYA MANTRI NISHULK DIOGNOSTIC

Centeral Scheme : AND RADIOLOGY TESTS SCHEME AND MUKHYA MANTRI NISHULK BREAST & CERVICAL CANCER SCREENING SCHEME(1414)

योग: रुपये दो करोड 20,000,000.00

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 15/10/2026

वित्तीय वर्ष **2026-27** में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 001 - निदेशन और प्रशासन & 49 - मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक एवं रेडियोलॉजी जाँच योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैन्सर स्क्रीनिंग योजना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100100149010648	Total
					अंशदान	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhanbad	DHNMED072	Dr. Alok Bishwakarma	C.S. Cum C.M.O.Dhanbad	₹2,00,00,000.00 (76156)	₹2,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- **₹2,00,00,000.00 (** दो करोड **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र सं०–13/मु०गं०बी०यो० (बजट)–04–09/2026– 11 (13) ब स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
धनबाद।

राँची, दिनांक– 14/10/2026

विषय– वित्तीय वर्ष 2026–2027 में धनबाद जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के लिए कुल 2,00,00,000/–(दो करोड़) रूपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–05(13)ब, दिनांक–08.05.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य के मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के लिए धनबाद जिलान्तर्गत उपलब्ध कराये गये अधियाचना के आलोक में कुल 2,00,00,000/–(दो करोड़) रूपए मात्र की अतिरिक्त राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है–

जिला का नाम	विपत्र कोड	वर्त्तमान आवंटन की राशि	निकासी एवं व्ययन पदा0
धनबाद	20एस–2210–01–001–49–01–06–48	2,00,00,000/–	सिविल सर्जन, धनबाद

2. यह चालू योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वैसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षो तक रू0 8,00,000/–(आठ लाख) से कम हो, उन्हें विभागीय संकल्प संख्या 190(13) दिनांक– 03.08.2023 के परिशिष्ट–1 में अंकित रोगों से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के अद्यतन संकल्प– 58(13) दिनांक 06.03.2024 के आलोक में यह स्वीकृति दी जा रही है। इस स्वीकृति के विरूद्ध आवंटित राशि का व्यय संकल्पों/पत्रों में निर्दिष्ट दिशा–निदेश के अनुरूप किया जाएगा।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस आवंटित राशि का व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के सिविल सर्जन होगें तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से होगी।

6. व्यय का विकलन वर्णित बजट शीर्षो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से होगा।

(ध्रुव प्रसाद)	(अनुज कुमार प्रसाद)	(संदीप कुमार दोराइबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव

7. मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में अतिरिक्त अस्पतालों को जोड़ना अथवा किसी अस्पताल को विलोपित करने का कार्य पूर्व की भाँति विभाग स्तर पर किया जाएगा। झारखण्ड राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंधन समिति को पूरे राज्य के जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समितियों के तत्संबंधी कार्यो के अनुश्रवण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण निगरानी, निरीक्षण आदि की शक्ति प्राप्त रहेगी।

8. निधि का संचालन स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–58(13) दिनांक 06.03.2024, 190(13) दिनांक–03.08.2023, 179(13) दिनांक–12.09.2022, 39(13) दिनांक–14.02.2020, सं0–1716(6) दिनांक–08.12.2017, सं0–39(6)ब दिनांक–15.06.2017 एवं सं0–1028(6) दिनांक–23.11.2015 के प्रावधान के अधीन किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को प्रत्येक माह की 7 वीं तारीख तक विभाग के बजट शाखा को अवश्य उपलब्ध करायेगी।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–13 / मु०गं०बी०यो०(बजट)–04–09 / 2026– 11 (13)ब दिनांक– 14/10/2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, झारखण्ड / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त, धनबाद / अभियान निदेशक, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / कोषागार पदाधिकारी, धनबाद / संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य विभाग / झारखण्ड राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)	(अनुज कुमार प्रसाद)	(संदीप कुमार दोराइबुरू)	(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव	संयुक्त सचिव	अपर सचिव	अपर मुख्य सचिव